(13)
परिशिष्ट – एक -(1/2)

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 80] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी 2015—फाल्गुन 1, शक 1936

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2015

शासकीय महाविद्यालयों में जानभागीदारी समिति के नियम में संशोधन

क्र. एफ 24-1-2011-अड़तीस-2.—असाधारण राजपत्र, शासन अधिनियम अधिसूचना क्रमांक 471, दिनांक 30-09-1996 शासकीय महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति मद के अंतर्गत सामग्री क्रय हेतु संशोधित दिशा-निर्देश जनभागीदारी समिति की कंडिका ''ग'' एवं ''छ'' में एतद्द्वारा संशोधन किया जाता है:—

''समिति के कार्य कलापों का प्रबंधन सामान्य परिषद् के निर्देश एवं नियंत्रण में किया जायेगा. यह समिति की सर्वोच्च सभा होगी एवं इस सभा का अध्यक्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया जायेगा. राज्य शासन संबंधित नगर निकाय, जनपद एवं जिला पंचायत के सदस्य, विधायक अथवा सांसद या गणमान्य नागरिक में से वह गणमान्य नागरिक जो न्यूनतम स्नातक उपाधि प्राप्त हो तथा कम से कम एक लाख रुपये महाविद्यालय को दान के रूप में दिया हो, नियुक्त किया जायेगा. सामान्य परिषद् का उपाध्यक्ष कलेक्टर अथवा उसका प्रतिनिधि, जो डिप्टी कलेक्टर स्तर से कम न हो, होगा. सामान्य परिषद् में विधायक, सांसद अथवा उनके नामजद प्रतिनिधि सदस्य होंगे.''

कंडिका ''छ'' को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

''जनभागीदारी समिति में एकत्रित वित्तीय संसाधनों को Public Sector Bank में खाता खोलने का प्रावधान रखा जाये. इस निधि का व्यय जनभागीदारी समिति की सामान्य परिषद् के प्रस्ताव पर महाविद्यालय की अधोसंरचना के विकास एवं शैक्षणिक विकास के लिये किया जायेगा.

जनभागीदार समिति की निधि के व्यय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु सीमा व प्राधिकृत अधिकारी निम्नानुसार होंगे:—

1. ''सचिव जनभागीदारी समिति को (जनभागीदारी के प्रस्ताव पर) प्रत्येक निर्माण/मरम्मत कार्य तथा एक बार में सामग्री क्रय के लिये रुपये 15.00 लाख तक के अधिकार हो. इस प्रकार कुल वार्षिक व्यय रुपये 50.00 लाख तक के अधिकार होंगे. निर्माण/मरम्मत कार्य की तकनीकी स्वीकृति लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारी के अनुमोदन पश्चात् ही जारी की जावेगी.''

2. जनभागीदारी समिति के प्रस्ताव पर आयुक्त उच्च शिक्षा को निर्माण एवं मरम्मत कार्यों तथा सामग्री क्रय हेतु रुपये 50.00 लाख (रुपये पचास लाख) से ऊपर के सम्पूर्ण स्वीकृति अधिकार होंगे.

3. सचिव, वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करते समय वित्तीय संहिता-2 के अंतर्गत भण्डार क्रय नियमों का पालन करेंगे.

समिति की निधि का लेखा परीक्षण सामान्य परिषद् के द्वारा नियुक्त चार्टड अकाउंटेंट द्वारा प्रतिवर्ष किया जायेगा. समिति द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क में वृद्धि की जा सकेगी तथा वह नये शुल्क भी लगा सकेगी और आय वृद्धि के अन्य उपाय भी कर सकेगी. समिति की निधि का उपयोग सोशल गेदरिंग, निर्वाचन, स्वागत एवं गैर अकादमिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जायेगा.

आयुक्त उच्च शिक्षा का आदेश क्रमांक 1235-611-आउशि-योजना-07, दिनांक 7-8-2007 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विजय, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.